(ix) वह राष्ट्रपति अथवा राज्यपाल के अनुरोध पर स्थानीय निकायों या अन्य निकायों की लेखा परीक्षा करता है वह केन्द्र के किसी विभाग और राज्य सरकारों द्वारा रखे जाने वाले व्यक्तिगत लेखों, व्यापार, उत्पादन, लाभ-हानि लेखों तथा बैलेंस शीट का भी लेखा परीक्षा करता है

(x) Art. 150 के अनुसरण में वह केन्द्र तथा राज्यों के लेखा प्रपत्रों के निर्धारण संबंधी परामर्श राष्ट्रपति को प्रदान करता है

(xi) वह संघ के लेखाओं संबंधी लेखा परीक्षा प्रतिवेदन को अनु 151 के अनुसरण में राष्ट्रपति के समक्ष रखता है, जिसे वह संसद के दोनों सदनों में प्रस्तुत करता है, राज्यों के संदर्भ में यह प्रतिवेदन वह राज्यपाल को प्रस्तुत करता है, जिसे वह राज्य विधानमंडल प्रस्तुत करता है

(xii) वह किसी भी प्रकार के कर / शुल्क से हुई निवल प्राप्ति को प्रमाणित करता है

(xiii) वह लोक लेखा समिति के लिए मार्गदर्शक, मित्र और मार्गदर्शक की भूमिका निभाता है

स्वतंत्रता

भारतीय संविधान द्वारा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक पद को पर्याप्त रूप से सुरक्षा कवच प्रदान किया गया है इसकी स्वायत्तता एवं स्वतंत्रता के लिए निम्नलिखित प्रावधान किए गए है —

(i) Art (148 (1)) — के अनुरूप नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को उन्हीं आधारों पर हटाया जाएगा और उसी रीति से हटाया जाएगा जिस प्रकार उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है

(ii) Art 148(3) के परन्तुक में यह व्यवस्था की गयी है कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के सेवाकाल में कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाएगा।

(iii) Art (148 (4)) के अंतर्गत इसके संदेय सभी वेतन, भत्ते और पेंशन भारत की संचित निधि पर आधारित होंगे।